कार्यालय जिला गामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा
(मनरेगा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा सूचना

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक (N)1672 दिनांक 1.6.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में मनरेगा के अन्तर्गत बिरसा मुण्डा आम बागवानी के लिए लोहरदगा प्रखण्ड (निगंनी, रामपुर एवं अरकोसा पंचायत), सेन्हा प्रखण्ड (डांडू पंचायत), भण्डरा प्रखण्ड (गड़रपो पंचायत) एवं किस्को प्रखण्ड (बेटहट, नवाडीह एवं परहेपाट पंचायत) में प्रति पौधा प्रयुक्त मात्रा के अनुसार केचुआ खाद, नीम / करंज खल्ली, बोन मील, डोलोमाईट, फफुन्दनाशक, कीटनाशक दवा, दीमकनाशक दवा, रासायनिक खाद का क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता सीलबन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 27/06/2018 के 3.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा में जमा कर सकते हैं। निविदादाता निविदा की शर्त्ते कार्यालय अवधि में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा एवं लोहरदगा जिले के वेबसाईट wwww.lohardaga.nic.in में देखा जा सकता है।

ह०/–

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।

ज्ञापांक 383/म0को0 दिनांक 15/6/18

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., लोहरदगा को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि जिले के वेबसाईट में अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

15/06/18

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।

निविदा की शर्त्तें :–

1. निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्ता / निर्माता होने का प्रमाण–पत्र।
2. संस्था के पास न्यूनतम विगत वर्ष का अंकेंक्षण, आयकर तीन वर्ष का, बिक्रीकर, आधार, दूकान का GSTIN नम्बर, पैन नम्बर, वाणिज्यकर से संबंधित अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. संस्था काली सूची में नहीं डाली गयी हो, इसके लिए शपथ–पत्र देना आवश्यक है।
4. आपूर्तिकर्त्ता को केचुआ खाद, नीम / करंज खल्ली, बोन मील, डोलोमाईट, फफुन्दनाशक, कीटनाशक दवा, दीमकनाशक दवा, रासायनिक खाद का क्रय–विक्रय एवं आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कम–से–कम एक वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। नकली एवं Expiry दवा की आपूर्ति नहीं की जायेगी। जॉच में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ काली सूची में डाला जायेगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता का दूकान सरकारी प्रावधान के अनुरूप पंजीकरण/ अनुज्ञप्तिधारी होना चाहिए।
6. कार्यादेश निर्गत करने के 10 (दस) दिनों के अन्दर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
7. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपूर्ति नहीं करने एवं ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
8. स्वीकृत दर 1 वर्ष के लिये प्रभावी होगा, दर वैट सहित उल्लेख करना होगा तथा आपूर्ति किये जाने वाली सामग्रियों को सभी कार्य स्थल में पहुंचाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।
9. निविदादाता को 10,000/– (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, लोहरदगा के पदनाम से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
10. निविदादाता को Technical एवं Financial Bid दो अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा में देना होगा तथा Technical बिड के साथ सारे कागजात, प्रमाण–पत्र एवं डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होगा एवं 'वित्तीय बीड' में उपरोक्त सामग्री का दर अंकित रहेगा।
11. निविदादाता सीलबन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 27/06/2018 के 3.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा में जमा कर सकते हैं।
12. निविदादाताओं का निविदा दिनांक 27/06/2018 के अपराह्न 4.00 बजे निविदादाता या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।
13. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत करने एवं एक से अधिक निविदादाताओं के बीच वितरण का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

15/06/18

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।